न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/09/2019

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री दीपेन्द्र आर्य निवासी–ग्राम व पोस्ट–भुनगडा अहीर तहसील–मुण्डावर (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 12.03.19

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 21.01.19 के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उपखण्ड क्षेत्र मुण्डावर अन्तर्गत तहसील स्तरीय सतर्कता समिति गठन, ग्राम पंचायतवार सदस्यों की सूचना व अन्य विविध कुल 05 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की वांछा प्रत्यर्थी से की गई थी।
4. आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 21.01.19 के बिन्दु सं. 1,2 व 5 के परिप्रेक्ष्य में वांछित सूचनायें अपूर्ण मिलने व प्रत्यर्थी के प्रत्युत्तर दिनांकः 23.01.19 से असंतुष्टि के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 12.02.19 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
6. अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 555 दिनांकः 28.02.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 21.01.19 पर प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः लोक सूचना/2019/189 दिनांकः 23.01.19 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया गया कि आवेदन के बिन्दु सं. 01 लगायत 04 जिला रसद अधिकारी, अलवर से संबंधित होने के कारण पत्रांकः 190–91 दिनांकः 23.01.19 के माध्यम से उन्हें अन्तरित किया जा चुका है व शेष बिन्दु सं. 5 के अनुक्रम में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांकः 12.10.2018 के अनुसरण में पत्राचार संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने से इंकार किया गया है व कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना संबंधी प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।
8. अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित आवेदन के बिन्दु सं. 01, 02 का संबंध प्रत्यर्थी कार्यालय से ही होना अंकित किया है व जिला रसद अधिकारी, अलवर को किए गए अन्तरण को अनुचित बताया है किन्तु उक्त अन्तरण किस प्रकार गलत है, के साक्ष्य हेतु अपीलार्थी इस न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का प्रतिकार प्रस्तुत किया गया। जहॉ तक बिन्दु सं. 5 का प्रश्न है, आवेदक द्वारा उक्त बिन्दु सं. 5 में पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यवाही व दर्ज परिवादों की प्रमाणिक सूचना चाही गई है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांकः 12.10.2018 के अनुसरण में बिन्दु सं. 5 अन्तर्गत वांछित सूचना उपलब्ध

कराने से इंकार करना अनुचित है क्योंकि अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राज0 सरकार के परिपत्र दिनांकः 12.10.18 में वर्णित है कि जहॉ प्रतिलिपि/निरीक्षण हेतु विशेष शुल्क निर्धारित हो वहॉ **फीस लेने के संबंध में** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू नहीं होकर **संबंधित विशेष नियम** लागू होंगे। यहॉ कार्यालय के सामान्य पत्राचार हेतु कोई विशेष शुल्क संबंधी नियम लागू नहीं हैं। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पत्राचार कार्यवाही की नकलें जारी किया जाना उचित है।

9. उक्त आलोक में आवेदन दिनांकः 21.01.19 के बिन्दु सं. 01, 02 के परिप्रेक्ष्य में प्रथम अपील खारिज की जाती है व शेष बिन्दु सं. 5 के क्रम में अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

10. प्रत्यर्थी कार्यालय राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 21.01.19 के बिन्दु सं. 5 के परिप्रेक्ष्य में उनके कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजी सूचना, प्रमाणिक रूप में उक्त आदेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में पंजीकृत–पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। अपीलार्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि आवेदन के शेष बिन्दुओं पर वांछित सूचना के संबंध में जिला रसद अधिकारी, अलवर कार्यालय में सम्पर्क स्थापित करें अथवा उक्त कार्यालय के प्रथम अपील अधिकारी को पृथक से प्रथम अपील प्रस्तुत करे।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

12/3/19

(भगवतसिंह देवल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)